भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1109
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की सेवा शर्तें

1109. श्री काली चरण मुंडा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की सेवा शर्तों में सुधार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी लागू करने की मांग का परीक्षण किया है, यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) उनके मानदेय, सामाजिक सुरक्षा लाभों और सेवा शर्तों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय की "मानद कार्यकर्ता" हैं जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह राशि केंद्र तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन और टॉप-अप भी दे रहे हैं, जो राज्यवार

भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप अप का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करके तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फ़ोन एप्लिकेशन है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाया है। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही वे आंगनवाड़ी में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय समय निगरानी कर पाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहल की गई हैं जिनमें:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(ii) अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात/गर्भस्राव पर एक बार 45 दिनों का सवैतनिक अवकाश।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करें कि वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित करवाएं। यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु) और 18-59 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00

लाख रुपये (दुर्घटनागत मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज दी गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार नीति और योजना के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना के सभी परिचालन पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं।भारत सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित लागत-हिस्सेदारी अनुपात में निधियां जारी करती है।

चूंकि इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए भर्ती, सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार यह केवल नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला लाभ है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को उचित लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकारी हैं।

अनुलग्नक

'एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की सेवा शर्तें' के संबंध में श्री काली चरण मुंडा द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्र.सं. 1109 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप अप का विवरण:

(रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त टॉप-अप का भुगतान किया गया	आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अतिरिक्त टॉप-अप भुगतान किया गया
1	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
2	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
3	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
4	असम	3,500	1,750
5	बिहार	4,500	2,250
6	चंडीगढ़	3,600	1,800
7	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,500	1,750
9	दिल्ली	6,720	3,360
10	गोवा	15,000 - 23,000	8,500 - 11,500
11	गुजरात	5,500	3,250
12	हरियाणा	10,250	5,650
13	हिमाचल प्रदेश	6,000	3,550

14	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
15	झारखंड	7,000	3,500
16	कर्नाटक	8,000	5,250
17	केरल	8,300	6,800
18	लद्दाख	1,300	650
19	लक्षद्वीप	5,500	4,750
20	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
21	महाराष्ट्र	8,500	5,250
22	मणिपुर	1,000	600
23	मेघालय	3,000	1,000
24	मिजोरम	950	725
25	नागालैंड	NIL	NIL
26	ओडिशा	5,500	2,750
27	पुद्दुचेरी	1,950	2,125
28	पंजाब	5,000	2,850
29	राजस्थान	6,061	4,041
30	सिक्किम	7,000	4,500
31	तमिलनाडु	9,780	6,270
32	तेलंगाना	9,150	5,550
33	त्रिपुरा	5,946-3,500	4,218-2,750
34	उत्तर प्रदेश	1,500	750
35	उत्तराखंड	4,800	3,000
36	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
